NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 17-04-2026

विषय सूची

भारत की प्रवासन शासन व्यवस्था को संपूर्ण-यात्रा दृष्टिकोण की आवश्यकता

संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया

शहरी चुनौती कोष (UCF): शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की वित्तीय क्षमता का सुदृढ़ीकरण

EU द्वारा CBAM के अंतर्गत 180 और उत्पादों को शामिल करने की योजना

संक्षिप्त समाचार

- चंद्रशेखर
- मरीन हीटवेव (Marine Heatwaves)
- मेमोरी मूल्य मुद्रास्फीति (Memflation)
- अमेज़न वर्षावन
- केरल के वनस्पतिशास्त्री का आक्रामक प्रजातियों से निपटने में नवाचार
- शाहतूश ऊन (Shahtoosh Wool)
- मिथोस एआई मॉडल
- ऑपरेशन नुमखोर

भारत की प्रवासन शासन व्यवस्था को संपूर्ण-यात्रा दृष्टिकोण की आवश्यकता

संदर्भ

- पश्चिम एशिया से भारतीय नागरिकों की बड़े पैमाने पर निकासी, प्रवासन शासन व्यवस्था की एक गंभीर संरचनात्मक समस्या को उजागर करती है, जो निरंतर और व्यापक होने के बजाय प्रतिक्रियात्मक एवं संकट-प्रधान है।

भारत के लिए प्रवासन का महत्व

- **आर्थिक वृद्धि:** प्रवासन विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में श्रम के कुशल आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - आंतरिक प्रवासन औद्योगीकरण और शहरीकरण को समर्थन देता है, निर्माण, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों को श्रम उपलब्ध कराता है।
- **बाह्य क्षेत्रीय स्थिरता:** भारतीय प्रवासी वैश्विक प्रेषण (remittances) में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से हैं।
  - 2023–24 में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) भारत के कुल प्रेषण प्रवाह का 37.9% योगदान करती है, जो घरेलू आय, राज्य-स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा स्थिरता के लिए इसकी महत्ता को दर्शाती है।
- **जीविका विविधीकरण:** प्रवासन रोजगार के अवसर प्रदान करता है जब स्थानीय श्रम बाजार अधिशेष श्रम को समाहित करने में असमर्थ होते हैं।
  - यह विशेष रूप से कृषि-प्रधान क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-रोज़गारी के लिए एक सुरक्षा वाल्व का कार्य करता है।
- **मानव पूंजी निर्माण:** प्रवासन कौशल अर्जन और नई तकनीकों व कार्य पद्धतियों के संपर्क को संभव बनाता है। लौटने वाले प्रवासी उन्नत कौशल और उद्यमशील अनुभव लेकर आते हैं।
- **कूटनीतिक महत्व:** विशाल भारतीय प्रवासी समुदाय भारत की वैश्विक उपस्थिति और सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करता है।
  - प्रवासी भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार, निवेश एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के सेतु का कार्य करते हैं।

प्रवासन शासन में प्रमुख चुनौतियाँ

- **संकट-उन्मुख नीतिगत दृष्टिकोण:** सरकार का प्रवासन से जुड़ा हस्तक्षेप संघर्ष या महामारी जैसी आपात स्थितियों में तीव्र हो जाता है।
  - रोकथाम, तैयारी और दीर्घकालिक कल्याण तंत्र पर सीमित संस्थागत ध्यान है।
- **खंडित संस्थागत संरचना:** प्रवासन शासन कई संस्थाओं में विभाजित है।
  - विदेश मंत्रालय प्रवासन और कूटनीतिक समन्वय संभालता है।
  - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रमिक कल्याण और भर्ती विनियमन देखता है।
  - राज्य सरकारें कौशल विकास कार्यक्रम और कल्याण योजनाएँ संचालित करती हैं।
- **प्रवासियों की अपूर्ण दृश्यता:** प्रवासी विभिन्न चरणों में अलग-अलग संस्थाओं को दिखाई देते हैं, परंतु कोई एकीकृत ट्रैकिंग या सहयोग तंत्र नहीं है।
  - इससे विशेषकर संक्रमणकालीन चरणों में सुरक्षा में अंतराल उत्पन्न होते हैं।
- **डेटा की कमी:** भारत के पास सूक्ष्म, वास्तविक समय का प्रवासन डेटा नहीं है, विशेषकर जिला स्तर पर।
  - इससे राज्य की प्रवासन-संबंधी जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने और लक्षित कल्याण उपाय देने की क्षमता सीमित होती है।
- **गुप्त कमजोरियाँ:** प्रवासन प्रणाली प्रायः धीमे और संचयी दबावों का सामना करती है, जैसे जीवन-यापन की बढ़ती लागत, वेतन स्थिरता एवं विदेशों में कठोर श्रम विनियम।
  - ये समस्याएँ तुरंत उत्पादन या प्रेषण प्रवाह को बाधित नहीं करतीं, परंतु धीरे-धीरे श्रमिकों की असुरक्षा बढ़ाती हैं।

नीतिगत अनुशंसाएँ

- प्रवासन नीति को प्रवासन के पूरे जीवनचक्र को शामिल करना चाहिए — उद्गम, भर्ती, पारगमन, गंतव्य और वापसी।
- **प्रवासन डेटा प्रणाली को सुदृढ़ करें:** जिला-स्तरीय सूक्ष्मता के साथ एक राष्ट्रीय प्रवासन डेटाबेस विकसित करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर प्रवासी प्रवाह, कौशल प्रोफ़ाइल और रोजगार स्थिति को ट्रैक करें।
- **भर्ती प्रणाली में सुधार करें:** भर्ती एजेंसियों के विनियमन को सुदृढ़ करें ताकि शोषण, धोखाधड़ी और अत्यधिक शुल्क रोके जा सकें।
- **द्विपक्षीय श्रम गतिशीलता समझौते:** भारत को खाड़ी सहयोग परिषद जैसे प्रमुख गंतव्य क्षेत्रों के साथ गहन सहयोग करना चाहिए ताकि मानकीकृत अनुबंध, न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, सामाजिक सुरक्षा और बीमा कवरेज सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

- भारत को प्रतिक्रियात्मक, संकट-प्रधान दृष्टिकोण से हटकर एक सक्रिय, निरंतर प्रवासन शासन ढाँचे की ओर बढ़ना चाहिए।
- प्रवासन को एक जुड़ी हुई और सतत प्रक्रिया के रूप में मान्यता देना आवश्यक है, न कि केवल आकस्मिक गतिशीलता के रूप में।
- संपूर्ण-यात्रा दृष्टिकोण श्रमिक कल्याण को बढ़ाएगा, आर्थिक लचीलापन को सुदृढ़ करेगा और सुनिश्चित करेगा कि प्रवासन असुरक्षा का कारण बनने के बजाय समावेशी विकास का प्रेरक बना रहे।

स्रोत: IE

संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया

समाचार में

- लोकसभा वर्तमान में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा कर रही है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आकार एवं संरचना में वृद्धि का प्रस्ताव है।

संविधान संशोधन के बारे में

- यह संसद में प्रस्तुत एक विधायी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रावधानों में संशोधन, परिशिष्ट जोड़ना या उन्हें निरस्त करना होता है।
- संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- केवल संसद को ही ऐसे विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है; राज्य सरकारें इन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकतीं।

संविधान संशोधन के प्रकार

- भारतीय संविधान में संशोधन की तीन प्रकार की प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं, जो संशोधित किए जाने वाले प्रावधान की प्रकृति पर निर्भर करती हैं:
  - **सरल बहुमत (अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर):**
    - संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक मतों द्वारा पारित।
    - सामान्य विधेयक की तरह।
    - उदाहरण: नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन (जैसे अनुच्छेद 4)।
  - **विशेष बहुमत (अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मुख्य प्रक्रिया):**
    - प्रत्येक सदन के कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक।
    - यह सबसे सामान्य संशोधन प्रक्रिया है और अनुच्छेद 368 की रीढ़ है।
  - **विशेष बहुमत + राज्यों की पुष्टि (अनुच्छेद 368 के अंतर्गत):**
    - कुछ संघीय प्रावधानों के लिए संसद में विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक।
    - ये प्रावधान संघीय संरचना से संबंधित होते हैं (जैसे राज्यों की शक्तियाँ, न्यायपालिका, प्रतिनिधित्व)।

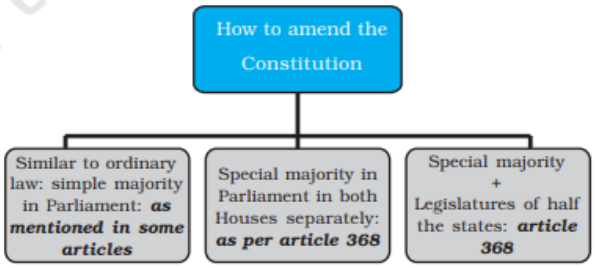

संविधान संशोधन का महत्व

- **लोकतांत्रिक अनुकूलन:** संविधान को बदलती सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाए रखता है।
- **संघीय संतुलन:** जनसंख्या परिवर्तनों के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है (जैसे नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन)।
- **सामाजिक न्याय:** महिलाओं के लिए विधानसभाओं में आरक्षण जैसे सुधारों को सक्षम बनाता है।
- **राष्ट्रीय एकीकरण:** "एक राष्ट्र, एक चुनाव" जैसी पहल को संभव बनाता है।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** संसद और विधानसभाओं का विस्तार कर भारत की जनसंख्या वृद्धि को परिलक्षित करता है।

संशोधन प्रक्रिया में चुनौतियाँ

- **राजनीतिक सहमति:** खंडित राजनीति में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना कठिन होता है।
- **संघीय संवेदनशीलताएँ:** राज्य उन संशोधनों का विरोध कर सकते हैं जिन्हें वे केंद्रीकरण की दिशा में मानते हैं।
- **अत्यधिक उपयोग का जोखिम:** बार-बार संशोधन संविधान की स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं।
- **न्यायिक समीक्षा:** संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मूल संरचना सिद्धांत का सम्मान करना आवश्यक है।
- **जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व:** परिसीमन से क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जहाँ अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को छोटे राज्यों की तुलना में अधिक सीटें मिलेंगी।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- संविधान संशोधन सहमति निर्माण पर आधारित होना चाहिए, जहाँ विपक्ष और राज्य सरकारों के साथ संवाद व्यापक समर्थन सुनिश्चित करे।
- प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श और सार्थक संसदीय बहस के माध्यम से पारदर्शी विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए ताकि वैधता सुदृढ़ हो।
- साथ ही, संशोधन संघवाद की रक्षा करें और केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोगी संबंधों को बढ़ावा दें, न कि उन्हें कमजोर करें।
- संविधान प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा का प्रावधान होना चाहिए ताकि सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बना रहे।
- सुधारों को शासन के आधुनिकीकरण और संविधान की स्थिरता एवं मूल्यों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए।

स्रोत :TH

शहरी चुनौती कोष (UCF): शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की वित्तीय क्षमता का सुदृढ़ीकरण

संदर्भ

- हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने शहरी चुनौती कोष (UCF) कार्यक्रम के संचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करना है।

शहरी चुनौती कोष (UCF) के बारे में

- यह एक **केंद्रीय प्रायोजित योजना** है, जिसमें ₹1,00,000 करोड़ का केंद्रीय प्रावधान (वित्त वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक) है।
  - इसका लक्ष्य पाँच वर्षों में शहरी क्षेत्र में लगभग ₹4 लाख करोड़ निवेश को उत्प्रेरित करना है।
- यह 'चैलेंज-मोड' प्रतिस्पर्धी चयन अपनाता है, जिससे केवल रूपांतरणकारी और बैंक योग्य परियोजनाओं को ही वित्तपोषित किया जाएगा।

- इसकी एक प्रमुख विशेषता इसका **नवोन्मेषी वित्तीय ढाँचा** है:
  - 25% केंद्रीय सहायता
  - न्यूनतम 50% वित्तपोषण बाज़ार स्रोतों (ऋण, बॉन्ड, PPP) से
  - शेष 25% राज्यों/ULBs या अतिरिक्त बाज़ार उधारी से
- इसमें शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास, विकास केंद्र के रूप में शहर, जल एवं स्वच्छता शामिल हैं। यह मान्यता देता है कि केवल सार्वजनिक वित्त शहरी अवसंरचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और निजी पूँजी को आकर्षित करने का प्रयास करता है।

पात्रता और दायरा

- भारत के सभी शहर पात्र हैं।
- परियोजनाएँ बैंक योग्य एवं परिणाम-उन्मुख होनी चाहिए, UCF के वर्टिकल्स के अनुरूप हों, और AMRUT 2.0 या SBM 2.0 जैसी योजनाओं के अंतर्गत पहले से वित्तपोषित न हों।

क्रेडिट पुनर्भुगतान गारंटी योजना

- UCF में ₹5,000 करोड़ की क्रेडिट पुनर्भुगतान गारंटी व्यवस्था शामिल है, जो छोटे शहरों के लिए वित्त तक सीमित पहुँच की चुनौती को संबोधित करती है।
- यह उन शहरों को कवर करती है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है तथा सभी पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के शहरों को।
- इसमें प्रथम ऋण के लिए 70% गारंटी (₹7 करोड़ तक) और बाद के ऋणों के लिए 50% गारंटी (₹7 करोड़ तक) प्रदान की जाती है।
- यह छोटे ULBs को ₹20 करोड़ (प्रारंभिक परियोजनाएँ) और ₹28 करोड़ (बाद की परियोजनाएँ) तक की परियोजनाओं के लिए धन एकत्रण में सक्षम बनाती है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन

- UCF को स्पष्ट रूप से निजी निवेश आकर्षित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।यह बाज़ार-आधारित वित्तपोषण को अनिवार्य करता है, PPP-अनुकूल परियोजना संरचना को प्रोत्साहित करता है, DPRs, वित्तीय मॉडलिंग और परामर्श जैसी परियोजना तैयारी को समर्थन देता है, तथा क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जोखिम को कम करता है।
  - यह शहरों को व्यवहार्य निवेश गंतव्य में परिवर्तित करता है।

शहरी चुनौती कोष (UCF) में प्रमुख चुनौतियाँ

- **ULBs की सीमित वित्तीय क्षमता:** कई शहरी स्थानीय निकायों में ऋण योग्यता का अभाव है, राजस्व आधार कमजोर है, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त है और पूँजी बाज़ार से धन एकत्रण में कठिनाई होती है।
- **ऋण बोझ और राजकोषीय दबाव का जोखिम:** बाज़ार-आधारित वित्तपोषण की ओर बदलाव से अधिक उधारी और पुनर्भुगतान दायित्व उत्पन्न होते हैं। यदि परियोजनाएँ अपेक्षित प्रतिफल नहीं देतीं, तो ULBs ऋण संकट का सामना कर सकते हैं।
- **परियोजना तैयारी और बैंक योग्यता की समस्याएँ:** कई शहर DPR तैयारी, वित्तीय मॉडलिंग और PPP संरचना में विशेषज्ञता की कमी का सामना करते हैं।
- **संस्थागत एवं शासन संबंधी बाधाएँ:** संस्थागत जड़ता, खंडित जिम्मेदारियाँ और कुशल जनशक्ति का अभाव कार्यान्वयन को धीमा कर सकता है।
- **शहरों में असमान भागीदारी:** बेहतर वित्तीय स्थिति वाले बड़े शहर प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकते हैं, जबकि छोटे नगर पीछे रह सकते हैं।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी में चुनौतियाँ:** निजी निवेशक कम जोखिम और उच्च प्रतिफल वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं, जबकि जल एवं स्वच्छता जैसी शहरी परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता कम होती है।
- **कार्यान्वयन एवं समन्वय समस्याएँ:** इसमें केंद्र, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, ULBs, वित्तीय संस्थाएँ और निजी क्षेत्र शामिल हैं, जिससे समन्वय, अनुमोदन, निगरानी एवं जवाबदेही में कठिनाई होती है।

- **वर्तमान योजनाओं की परियोजनाओं का बहिष्कार:** AMRUT 2.0 और SBM 2.0 जैसी योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाएँ पात्र नहीं हैं, जिससे एकीकरण सीमित हो सकता है।
- **छोटे एवं विशेष श्रेणी राज्यों की क्षमता सीमाएँ:** गारंटी योजना के बावजूद, पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के शहरों को भौगोलिक बाधाओं, सीमित तकनीकी विशेषज्ञता और कमजोर आर्थिक आधार का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

- शहरी चुनौती कोष (UCF) भारत की शहरी विकास रणनीति में एक दूरदर्शी सुधार है, जो अवसंरचना निर्माण को वित्तीय स्थिरता, शासन सुधार और निजी भागीदारी के साथ जोड़ता है।
- यदि प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह भारतीय शहरों को विकास, नवाचार एवं स्थिरता के इंजन में परिवर्तित कर सकता है और "विकसित भारत" के व्यापक लक्ष्य का समर्थन कर सकता है।

स्रोत: News On AIR

EU द्वारा CBAM के अंतर्गत 180 और उत्पादों को शामिल करने की योजना

संदर्भ

- यूरोपीय आयोग ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM) के दायरे को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2028 से लगभग 180 अतिरिक्त उत्पाद शामिल किए जाएंगे।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM)

- CBAM यूरोपीय संघ का एक उपकरण है, जिसका उद्देश्य EU में प्रवेश करने वाले कार्बन-गहन उत्पादों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाना और गैर-EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
- यह EU ग्रीन डील का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कमी करना है।
- CBAM का उद्देश्य EU उत्पादों (जो EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली - ETS के अंतर्गत आते हैं) और आयातित वस्तुओं के लिए कार्बन मूल्य को समान करना है।
  - इसका मुख्य उद्देश्य 'कार्बन लीकेज' को रोकना है, अर्थात् जब EU निर्माता कार्बन-गहन उत्पादन को उन देशों में स्थानांतरित करते हैं जहाँ जलवायु नीतियाँ कम कठोर हैं।

प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन

- विस्तारित सूची में निर्मित धातु उत्पाद, ट्यूब, पाइप, फास्टनर, मशीनरी के पुर्जे, एल्युमिनियम कंटेनर और अन्य अर्ध-निर्मित एवं तैयार वस्तुएँ शामिल होने की संभावना है।
- प्रस्ताव CBAM को कच्चे माल से आगे बढ़ाकर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला के उत्पादों तक विस्तारित करना चाहता है।
- इसमें कार्बन लेखांकन के कठोर नियम भी शामिल हैं, जिनमें उत्पादन में प्रयुक्त प्री-कंज़्यूमर स्क्रैप से होने वाले उत्सर्जन भी सम्मिलित होंगे।
- **विस्तार के पीछे का तर्क:**
  - यह विस्तार विनिर्माण के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में कार्बन लीकेज के जोखिम को संबोधित करने के लिए है।
  - इसका उद्देश्य कंपनियों को उत्सर्जन-गहन उत्पादन चरणों को कमजोर जलवायु विनियम वाले देशों में स्थानांतरित करने से रोकना है।

भारत के लिए निहितार्थ

- **व्यापार प्रतिस्पर्धा:** CBAM का विस्तार भारत के $74.8 अरब मूल्य के EU निर्यात को प्रभावित करेगा, जिससे इस्पात और एल्युमिनियम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी।
- **सामूहिक आर्थिक प्रभाव:** अनुमान है कि CBAM भारत के GDP में 0.05% की हानि करेगा, क्योंकि EU को भारत के निर्यात का 10% कार्बन-गहन क्षेत्रों से आता है।

- **MSME संवेदनशीलता:** लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) निर्मित धातु और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में प्रमुख हैं, परंतु उनके पास महंगे उत्सर्जन निगरानी एवं रिपोर्टिंग तंत्र की क्षमता नहीं है, जिससे बाज़ार से बहिष्करण का जोखिम बढ़ता है।
- **अनुपालन बोझ:** निर्यातकों को कार्बन लेखांकन, तृतीय-पक्ष सत्यापन और आपूर्ति श्रृंखला ट्रेसबिलिटी में निवेश करना होगा, जिससे लेन-देन लागत बढ़ेगी।
- **व्यापार विचलन:** भारतीय निर्यातक EU से हटकर वैकल्पिक बाज़ारों की ओर जा सकते हैं, जहाँ प्रायः कम लाभ और मांग स्थिरता होती है।

भारत के लिए नीतिगत सिफारिशें

- **MSMEs को लक्षित समर्थन:** सरकार को MSMEs को उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और कार्बन रिपोर्टिंग अनुपालन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी एवं तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को तेज़ करना:** भारत को इस्पात, सीमेंट और एल्युमिनियम जैसे कठिन-से-घटाए जाने वाले क्षेत्रों में कम-कार्बन तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का विस्तार शामिल है।
- **घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण ढाँचा:** भारत को एक विश्वसनीय कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र (कार्बन बाज़ार या कर) स्थापित करना चाहिए ताकि वैश्विक मानकों के अनुरूप हो सके और CBAM के अंतर्गत भार कम किया जा सके।

निष्कर्ष

- CBAM का विस्तार वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक गंभीर परिवर्तन को दर्शाता है, जहाँ कार्बन दक्षता तुलनात्मक लाभ का नया निर्धारक बन रही है।
- भारत के लिए यह केवल व्यापारिक चुनौती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मोड़ है, जो औद्योगिक विकास और जलवायु उत्तरदायित्व के बीच सामंजस्य की माँग करता है।
- अंततः, भारत की क्षमता लागत-प्रधान से कार्बन-दक्ष विनिर्माण अर्थव्यवस्था में संक्रमण करने की होगी, जो वैश्विक व्यापार की विकसित होती संरचना में उसकी स्थिति को निर्धारित करेगी।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

चंद्रशेखर

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, यह उनका 100वाँ जन्मवर्ष है।

चंद्रशेखर (1927–2007)

- **जन्म:** 17 अप्रैल 1927, इब्राहिमपट्टी गाँव, बलिया ज़िला, उत्तर प्रदेश, किसान परिवार में।
- **शिक्षा:** 1950–51 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर।
- **प्रारंभिक राजनीतिक सहभागिता:** छात्र जीवन में समाजवादी आंदोलन से जुड़े, आचार्य नरेंद्र देव के साथ निकटता से कार्य किया।
- **राजनीति में उदय (1950–60 के दशक):** उत्तर प्रदेश प्रजा समाजवादी पार्टी में सचिव/महासचिव बने। 1962 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित।
- **कांग्रेस में प्रवेश:** 1965 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बने।
- **राजनीतिक विचारधारा एवं प्रतिष्ठा:** "यंग टर्क" नेता के रूप में जाने गए, सुदृढ़ विचारधारा, ईमानदारी और एकाधिकार शक्तियों का विरोध किया।
  - व्यक्तित्व-आधारित राजनीति के बजाय सामाजिक परिवर्तन की राजनीति का समर्थन किया। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण से प्रभावित रहे।
- **पत्रकारिता एवं लेखन:** 1969 में *यंग इंडियन* साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना एवं संपादन किया। *मेरी जेल डायरी* और *डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज* लिखी।

- **आपातकाल (1975–77):** आपातकाल के दौरान MISA के अंतर्गत गिरफ़्तार हुए, जबकि वे सत्तारूढ़ दल में थे। *यंग इंडियन* बंद कर दी गई।
- **सामाजिक कार्य:** भारत भर में लगभग 15 भारत यात्रा केंद्र स्थापित किए। कन्याकुमारी से राजघाट (नई दिल्ली) तक 4260 किमी की पदयात्रा की।
- **संसदीय करियर:** 1962 से अधिकांश समय संसद सदस्य रहे, 1984–1989 को छोड़कर। 1989 में बलिया और महाराजगंज से चुनाव जीते।
  - **प्रधानमंत्री पद:** 10 नवम्बर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।

स्रोत: PIB

मरीन हीटवेव (Marine Heatwaves)

संदर्भ

- एक नए अध्ययन के अनुसार, मरीन हीटवेव (MHWs) पर से गुजरने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्रता में वृद्धि करते हैं और अरबों डॉलर की आपदाओं में 60% अधिक योगदान देते हैं।

मरीन हीटवेव क्या हैं?

- मरीन हीटवेव किसी विशिष्ट क्षेत्र में महासागर की सतह पर असामान्य रूप से उच्च तापमान की दीर्घकालिक अवधि होती हैं।
- इनके दो प्रमुख मानदंड हैं:
  - अवधि: कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक।
  - तीव्रता: दीर्घकालिक मौसमी औसत से विचलन, जिसे तापमान विसंगति कहा जाता है।

मुख्य कारक

- **जलवायु परिवर्तन:** महासागर 90% से अधिक अतिरिक्त वायुमंडलीय ऊष्मा को अवशोषित करते हैं।
- **महासागरीय धाराएँ:** गर्म जल ठंडे क्षेत्रों में स्थानांतरित होता है।
- **वायुमंडलीय प्रणालियाँ:** उच्च दबाव प्रणालियाँ सतही ऊष्मा को फँसा लेती हैं।
- **एल नीनो:** प्रशांत महासागर की सतही तापमान को बढ़ाता है, जिससे सबसे बड़ी दर्ज MHWs उत्पन्न होती हैं।

स्रोत: TH

मेमोरी मूल्य मुद्रास्फीति (Memflation)

समाचार में

- गार्टनर के 2026 के वैश्विक सेमीकंडक्टर राजस्व पूर्वानुमान ($1.3 ट्रिलियन) ने मेम्फ्लेशन को उद्योग की लगातार तीसरे वर्ष दो अंकों की वृद्धि का प्रमुख कारक बताया है।

मेम्फ्लेशन के बारे में

- **मुद्रास्फीति:** समय के साथ अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि।
- **मेम्फ्लेशन:** एक संरचनात्मक आर्थिक प्रवृत्ति है, जिसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी की कीमतें तीव्रता से और निरंतर बढ़ती रहती हैं।

स्रोत: TH

अमेज़न वर्षावन

संदर्भ

- हालिया अध्ययन से पता चला है कि 2023–2024 में लगातार आए सूखे ने अमेज़न वर्षावन की आर्द्रता और जैव-भार को विगत तीन दशकों के न्यूनतम स्तर तक पहुँचा दिया है, जो गंभीर पारिस्थितिकीय तनाव को दर्शाता है।

अमेज़न वर्षावन के बारे में

- अमेज़न वर्षावन अमेज़न नदी बेसिन में स्थित है।
- अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है (जल प्रवाह के आधार पर) और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पेरूवियन एंडीज़ में होता है तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है।
- **मुख्य सहायक नदियाँ:** रियो नेग्रो, मदीरा और ज़िंगू।
- **जलग्रहण क्षेत्र:** ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेज़ुएला और बोलिविया।

- यह वन 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 60% हिस्सा ब्राज़ील में है। शेष वन पेरू, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में फैला है।
- अमेज़न पृथ्वी के सबसे समृद्ध जैव-विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है, जहाँ लगभग 10% ज्ञात वन्यजीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

स्रोत: TH

केरल के वनस्पतिशास्त्री का आक्रामक प्रजातियों से निपटने में नवाचार

संदर्भ

- मलाबार बॉटनिकल गार्डन एवं प्लांट साइंसेज़ संस्थान के वनस्पतिशास्त्री एन. अलीम यूसुफ को आक्रामक पौधों की प्रजातियों का पता लगाने हेतु विकसित अनुप्रयोग के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

नवाचार के बारे में

- यह अनुप्रयोग *नियोफाइट आईडी* एक AI-संचालित मोबाइल उपकरण है, जो उपयोगकर्ताओं को तस्वीर लेकर आक्रामक पौधों की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
- इसे उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल YOLOv11 पर आधारित किया गया है, जो वास्तविक समय में वस्तु पहचान की सुविधा देता है।
- यह ऐप केरल में पाई जाने वाली लगभग 100 आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान कर सकता है।
  - यह मलयालम और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए सुलभ है।
  - इसमें भू-स्थानिक ट्रैकिंग को एकीकृत किया गया है, जिससे आक्रामक प्रजातियों के प्रसार का मानचित्रण होता है और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नीतिगत हस्तक्षेप में सहायता मिलती है।

आक्रामक प्रजातियाँ क्या हैं?

- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ वे गैर-स्थानीय पौधे या जीव होते हैं, जो तीव्र गति से फैलते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं।
- ये प्रायः देशी प्रजातियों को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ देते हैं, जिससे जैव-विविधता की हानि और पारिस्थितिक असंतुलन होता है।
- विशेषताएँ:
  - तीव्र प्रजनन और वृद्धि
  - उच्च प्रसार क्षमता
  - फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी (नई परिस्थितियों में शारीरिक रूप से अनुकूलन की क्षमता)
  - विभिन्न खाद्य प्रकारों और व्यापक पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता
- उदाहरण: *सेन्ना स्पेक्टाबिलिस*, *लैंटाना कैमारा*, *यूपेटोरियम*, *डोलिचैन्ड्रा उंगुइस-कैटी*।

स्रोत: TH

शाहतूश ऊन (Shahtoosh Wool)

संदर्भ

- दिल्ली की एक न्यायालय ने जयपुर स्थित एक कला गैलरी मालिक को शाहतूश शॉल का अवैध निर्यात करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया है।

परिचय

- शाहतूश ऊन तिब्बती हिरन (*Chiru*) के बालों से प्राप्त होती है। इस ऊन को प्राप्त करने के लिए पशु को मारना पड़ता है।
- शाहतूश का व्यापार भारत में सख्ती से प्रतिबंधित है और वैश्विक स्तर पर भी इसे प्रतिबंधित किया गया है।

तिब्बती हिरन (पैनथोलॉप्स हॉजसोनी)

- चिरु एक मध्यम आकार का बोविड है, जो तिब्बती पठार (3,250–5,500 मीटर) की उच्च-ऊँचाई वाली अल्पाइन स्टेपीज़ में पाया जाता है।
- **आवास:** तिब्बत, चिंगहाई और शिनजियांग (चीन) के शुष्क, ठंडे घास के मैदान; भारत में लद्दाख (चांगथांग क्षेत्र) में छोटी जनसंख्या।
- **रूप-रंग:** हल्के भूरे से लाल-भूरे रंग का कोट, सफेद पेट। नर के चेहरे और पैरों पर काले निशान होते हैं, जो मादाओं में नहीं होते।

- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN रेड लिस्ट में *निकट संकटग्रस्त (NT)*।
  - भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध।
  - 1975 से CITES (वन्यजीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संधि) के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है।

स्रोत: DD News

मिथोस एआई मॉडल

संदर्भ

- अन्थ्रोपिक ने *मिथोस* नामक अपना सबसे उन्नत एआई मॉडल प्रस्तुत किया है, जो साइबर सुरक्षा कमजोरियों का पता लगाने में इतना शक्तिशाली है कि इसे सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया जाएगा।

मिथोस के बारे में

- एंथ्रोपिक द्वारा विकसित, जो क्लाउड LLM परिवार के निर्माता हैं।
- पहले के मॉडल *ओपुस* पर आधारित, जिसने मानव समीक्षकों द्वारा छूटे हुए बग्स का पता लगाया।
- सामान्य कोडिंग कार्यों से आगे बढ़कर विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और कमजोरियों की पहचान पर केंद्रित।
- पुराने सॉफ़्टवेयर सिस्टम में पहले से अनदेखे बग्स की पहचान करने में सक्षम।
- पहुँच केवल 40+ कंपनियों के एक संघ तक सीमित।

क्या आप जानते हैं?

- *प्रोजेक्ट ग्लासविंग एंथ्रोपिक* की एक रक्षात्मक साइबर सुरक्षा पहल है, जो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और सिस्को के साथ साझेदारी में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य कमजोरियों की पहचान और उन्हें पैच करना है, ताकि दुर्भावनापूर्ण शोषण से पहले ही सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

स्रोत: TH

ऑपरेशन नुमखोर

संदर्भ

- वाहन तस्करी और जाली पंजीकरण रैकेट पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई *ऑपरेशन नुमखोर* आगामी भारत–भूटान संयुक्त सीमा शुल्क समूह बैठक में चर्चा का विषय बनने की संभावना है।

ऑपरेशन नुमखोर के बारे में

- सितंबर 2025 में सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि द्वारा शुरू किया गया।
- इसका लक्ष्य भूटान के माध्यम से प्रीमियम सेकंड-हैंड वाहनों की तस्करी और जाली पंजीकरण दस्तावेज़ों का उपयोग रोकना है, जिसमें कथित तौर पर मोटर वाहन विभाग (MVD) के अधिकारियों की संलिप्तता है।
- इसमें कई राज्यों में छापेमारी और ज़ब्ती अभियान शामिल हैं।

स्रोत: TH